

## अध्याय IV: कार्य एवं सैन्य इंजीनियर सेवायें

### 4.1 विद्युत प्रभारों के अधिक भुगतान एवम् अल्प वसूली के कारण हानि

यद्यपि दुर्ग अभियंता (जी ई) विद्युत आपूर्ति अभिकरणों को भुगतान करने से पूर्व विद्युत बिलों की पूर्व-जांच सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, हमने पाया कि आवश्यक नियंत्रणों का प्रयोग करने में और अनुमोदित विद्युत शुल्क का अनुवर्तन करने में दुर्ग अभियंताओं की ओर से हुई विफलता के कारण लेखापरीक्षा के लिए चयनित दुर्ग अभियंताओं द्वारा ₹24.54 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। निजी पक्षों सहित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से ₹23.66 करोड़ के विद्युत प्रभारों की वसूली करने में भी जी ई विफल रहे, जो मुख्यतः ऊर्जा और नियत प्रभारों की अल्प वसूली, बिल देने में विलंब, त्रुटिपूर्ण मीटर आदि के कारण था। अधिक भुगतान एवं अल्प वसूली की ये गलतियाँ एम ई एस में आंतरिक नियंत्रणों की अपर्याप्तता रेखांकित करती है।

#### 4.1.1 प्रस्तावना

सैन्य इंजीनियरी सेवायें (एम ई एस) अपने प्रभार के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति प्रणाली के तकनीकी प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी है। एम ई एस सैन्य क्षेत्रों अथवा छावनी क्षेत्रों में आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत बोर्डों (एस ई बी) अथवा किसी कम्पनी (आपूर्ति एजेन्सियों) से थोक में बिजली ऊर्जा प्राप्त करता है जिसके लिए एम ई एस आपूर्ति एजेन्सियों के साथ आवश्यक अनुबंध अथवा शर्तों का ज्ञापन अनुबंध करता है। लागू शुल्क सूची के अनुसार विद्युत की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्ति एजेन्सियों को भुगतान करने के पूर्व संबंधित दुर्ग अभियंता (जी ई) को सम्बन्धित लेखा अधिकारी<sup>35</sup> (जी ई) के माध्यम से बिलों की पूर्व जांच करानी होती है। एस ई बी आपूर्ति एजेन्सियों को भुगतान के लिए जी.ई को शुल्क सूची शीर्ष में बजट का आवंटन प्राप्त होता है। भुगतान के लिए उत्तरदायी 30 दुर्ग अभियंताओं को वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए शुल्क सूची शीर्ष में आवंटन एवम् व्यय **अनुलग्नक-X** में दर्शाया गया है। एम ई एस में दुर्ग अभियंताओं के अन्तर्गत राजस्व कार्य देखने वाले बैरक स्टोर्स ऑफिसर्स (बी एस ओ) तथा लेखा अधिकारी (जी ई)/(बी एस ओ), रक्षा मंत्रालय (आर्मी) के आई एच क्यू, इंजीनियर-इन-चीफ (ई-एन-सी) शाखा द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं अर्थात् सैन्य कर्मिकों रक्षा नागरिकों, मैसों, छावनी बोर्डों, निजी पक्षों आदि से विद्युत प्रभारों की सही वसूली के लिए उत्तरदायी होते हैं। एम ई एस द्वारा सैन्य स्टेशनों पर विवाहितों के लिए आवास के अतिरिक्त रक्षा

<sup>35</sup> लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (ए ओ जी ई) रक्षा लेखा विभाग से होता है तथा वह कुछ लेखाओं के रख रखाव तथा प्राथमिक लेखापरीक्षा हेतु अभियंता कार्यालय के साथ होता है।

संस्थापनों, स्ट्रीट लाईटों, थल सेना बलों के प्रशासनिक कार्यालयों तथा एम ई एस प्रतिष्ठानों इत्यादि को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाती है।

#### 4.1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

हमने 30 सैन्य स्टेशनों में बी एस ओ सहित 44 दुर्ग अभियंताओं<sup>36</sup> द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक तीन वर्षों में आपूर्ति एजेन्सियों को भुगतान एवम विद्युत प्रभारों की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों की सितम्बर 2014 से नवम्बर 2014 तक एक संवीक्षा की। उपरोक्त चयनित कार्यालयों के अतिरिक्त दुर्ग अभियंताओं की सामान्य लेखापरीक्षा के दौरान सामने आये ऐसे ही मामलों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

#### 4.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने पाया कि 44 चयनित दुर्ग अभियंताओं में से 25 दुर्ग अभियंताओं ने वांछित शक्ति घटक<sup>37</sup> (पी एफ) का पालन न करने के कारण भुगतान की गई तथा बढी हुई अनुबंधित अधिकतम माँग (सी एम डी) तथा दंड/अधिभार आपूर्ति एजेन्सियों द्वारा की गयी गलत बिलिंग के कारण आपूर्ति एजेन्सियों को ₹ 24.54 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त चयनित 44 में से 41, दुर्ग अभियंताओं में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रभारों, विद्युत शुल्क, मीटर किराया, ईंधन अधिभार इत्यादि की कम वसूली/वसूली न करने के बाबत ₹ 23.66 करोड़ की राशि की वसूली करने में असफल रहे। अनुवर्ती पैराग्राफों में इन मामलों पर चर्चा की गयी है:-

<sup>36</sup> 1. जी ई (यूटिलिटी) मेरठ, 2. जी ई (नार्थ) मेरठ, 3. जी ई (साउथ), मेरठ, 4. जी ई रुड़की, 5. जी ई (क्लीमेंट टाउन) देहरादून, 6 जी ई (मिलिट्री कालेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) महो, 7. जी ई (ईस्ट) बरेली, 8. जी ई (थलसेना) सूरतगढ़, 9. जी ई चण्डीगढ़, 10. जी ई (साउथ) जयपुर, 11. जी ई (ईस्ट) जालंधर, 12. जी ई (सीएमई) डापोडी, पुणे, 13. जी ई (I) आर एंड डी पशान पुणे, 14. जी ई (नार्थ) एम.ई.जी सेन्टर बैंगलौर, 15. जी ई (आर एंड डी) (ईस्ट) बंगलौर, 16. जी ई(I) आर एंड डी,आर सी आई हैदराबाद, 17. जी ई (थल सेना) हैदराबाद, 18. जी ई (ईस्ट) लखनऊ, 19. जी ई (I) आर एंड डी कानपुर, 20. जी ई कानपुर, 21. जी ई (वेस्ट) जबलपुर, 22. जी ई (ईस्ट) जबलपुर, 23. जी ई(ईस्ट) इलाहाबाद ,24. जी ई झाँसी, 25. जी ई बवीना, 26. जी ई गुवाहाटी, 27. जी ई शिलाँग, 28. जी ई दीपाटोली, 29. जी ई(सेन्ट्रल) कोलकाता, 30. जी ई अलीपुर, 31. जी ई बिनागुडी, 32. जी ई मिसामारी, 33. जी ई(साउथ) उधमपुर, 34. जी ई (नार्थ) उधमपुर, 35. जी ई (यू) उधमपुर, 36. जी ई(नार्थ) मामून, 37. जी ई योल कैन्ट, 38. जी ई सतवारी, 39.जी ई (यूटिलिटी) दिल्ली कैन्ट, 40. जी ई (वेस्ट) दिल्ली कैन्ट, 41.जी ई (साउथ) दिल्ली कैन्ट, 42. जी ई (सेन्ट्रल) दिल्ली कैन्ट, 43. जी ई, नई दिल्ली, 44. जी ई (बेस हॉस्पिटल) दिल्ली कैन्ट,)

<sup>37</sup> शक्ति घटक - बिलिंग माह के दौरान कुल किलोवाट घंटों की कुल किलोवाट एमपीयर घंटों से प्रतिशत से रूप में दर्शाया गया अनुपात होता है।

#### 4.1.3.1 गलत बिलिंग के कारण राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत आपूर्ति एजेंसियों को अधिक भुगतान

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, राज्य में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत शुल्क निर्धारित करने के लिए राज्य विद्युत नियंत्रक आयोग (एस ई आर सी) सक्षम प्राधिकरण है। विद्युत शुल्क में ऊर्जा प्रभार<sup>38</sup>, निर्धारित प्रभार<sup>39</sup>, विद्युत कर<sup>40</sup>, चुँगी<sup>41</sup>, मीटर किराया<sup>42</sup>, ईंधन अधिभार<sup>43</sup>, शक्ति घटक अधिभार<sup>44</sup> हाई टेंशन(एच टी) थोक आपूर्ति पर छूट<sup>45</sup> इत्यादि सम्मिलित होते हैं। मासिक विद्युत बिलों के भुगतान में बिलों की यथार्थता सुनिश्चित करने कि दृष्टिगत दुर्ग अभियंता को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विद्युत आपूर्ति एजेंसियों द्वारा गलत बिलिंग के कारण दुर्ग अभियंता द्वारा अधिक/ परिहार्य भुगतान करने के मामलों को नीचे दिया गया है:

##### (क) शुल्क अनुसूची के गलत लागू करने के कारण अधिक भुगतान

प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड समय-समय पर अपने शुल्क अधिसूचित करती है। थोक आपूर्ति शुल्क एम ई एस, सी पी डब्ल्यू डी, संस्थानों, अस्पतालों, निजी कालोनियों, समूह आवास समितियों एवम्, अन्य ऐसे ही स्थापनाओं पर लागू होती है जो विभिन्न आवासीय एवम् गैर आवासीय भवनों को आगे इसका वितरण करते हैं।

<sup>38</sup> **ऊर्जा प्रभार**- यह उपभोक्ता द्वारा शुल्क दरों के अनुसार उपभोग की गयी ऊर्जा की लागत होती है।

<sup>39</sup> **निर्धारित प्रभार** - यह विद्युत आपूर्ति के वितरण के लिए सृजित अधिसंरचना की लागत वसूली हेतु लगाया जाता है। यह किसी उपभोक्ता से प्रतिमाह ऊर्जा प्रभारों के अतिरिक्त उसे संयोजित संस्वीकृत भार पर वसूली जाने वाली लागत है। निर्धारित प्रभार प्रतिमाह आवश्यक रूप से देय है चाहे ऊर्जा उपभोग किया गया है अथवा नहीं।

<sup>40</sup> **विद्युत कर** - राज्य में लागू कानून के अनुसार किसी राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन/आपूर्ति के लिए लगाया जाने वाला प्रभार

<sup>41</sup> **चुँगी** - राज्य में लागू कानून के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में विद्युत के उपभोग पर लगाया जाने वाला प्रभार

<sup>42</sup> **मीटर किराया** - विद्युत आपूर्ति एजेंसी द्वारा मीटर उपलब्ध कराये जाने की अवस्था में मीटर के प्रकार के अनुरूप किराये की वसूली

<sup>43</sup> **ईंधन अधिभार** -विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग किये जाने वाले ईंधन की लागत में भिन्नता को समायोजित करने के लिए विद्युत आपूर्ति एजेंसि द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार

<sup>44</sup> **शक्ति घटक अधिकार** - ऊर्जा की वितरण हानि के समायोजन हेतु वसूला जाना प्रभार। यदि उपभोक्ता के औसत शक्ति घटक में एक निश्चित प्रतिशतता से गिरावट आती है तो उपभोक्ता को बिल की कुल राशि पर "ऊर्जा प्रभार" शीर्ष के अन्तर्गत ऊर्जा प्रभारों से अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करना होगा।

<sup>45</sup> **हाई टेंशन (एचटी) थोक आपूर्ति पर छूट** - उच्च वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति में वितरण में विद्युत हानि कम होती है। एच टी आपूर्ति विभिन्न वोल्टेज जैसे कि, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी तथा 220 केवी पर की जाती है। यदि कोई उपभोक्ता सम्बन्धित श्रेणी में निर्धारित मानक वोल्टेज आपूर्ति से उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति अनुरोध करता है तो यदि शुल्क आदेशों में प्रावधान हो तो विद्युत आपूर्ति एजेंसी द्वारा उसे ऊर्जा की दरों/राशि में छूट अनुमत की जाती है।

हमने पाया कि 30 सैन्य स्टेशनों में से 12 स्टेशनों<sup>46</sup> पर राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत आपूर्ति एजेन्सियों द्वारा एम ई एस के लिए लागू शुल्क अनुसूची के अन्तर्गत उच्च दरों पर बढ़े हुए बिल प्रस्तुत किये गये थे। संबंधित दुर्ग अभियंताओं द्वारा बिलों की यथार्थता की जाँच किये बिना ही भुगतान कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों के दौरान ₹ 11.85 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **अनुलग्नक-XI** में दर्शाया गया है।

अपने उत्तरों में (अप्रैल 2013 से अगस्त 2015) सभी दुर्ग अभियंताओं ने बताया कि सही शुल्क अनुसूची लागू करने तथा अधिक प्रभारों की वापसी के लिए आपूर्ति एजेन्सियों के साथ मामला उठाया गया है जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित था।

**(ख) निर्धारित प्रभारों को सही से न लगाने के कारण अधिक भुगतान**

- उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यू पी पी सी एल) की शुल्क सूची के अनुसार, सभी उपभोक्ताओं के लिए माह के दौरान बिल योग्य माँग वास्तविक अधिकतम माँग अथवा संविदित भार (सी एम डी) का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो, होगी। जी ई झाँसी में, वास्तविक माँग तीनों सेनाओं से सम्बन्धित सी एम डी की 75 प्रतिशत से कम थी किन्तु विद्युत आपूर्ति एजेंसी ने सी एम डी की 75 प्रतिशत के बजाय सी एम डी पर निर्धारित प्रभार प्रसारित किये थे जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के दौरान ₹ 29.66 लाख का अधिक भुगतान हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अक्टूबर 2014) जी ई झाँसी ने अक्टूबर 2014 में बताया कि अनुबंध के संशोधन हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डी वी वी एन एल) से सम्पर्क किया जा रहा था ताकि सी एम डी संशोधित की जा सके। यह अभी प्रतीक्षित था (अगस्त 2015)।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एच पी एस ई बी) की शुल्क सूची के अनुसार, थोक आपूर्ति के मामले में किसी एक माह में किन्हीं 30 मिनटों के अन्तराल के दौरान दर्ज की गयी वास्तविक अधिकतम माँग अथवा अनुबंधित माँग के 90 प्रतिशत, इनमें जो भी अधिक हो, के आधार पर विद्युत शुल्क अनुसूची माँग प्रभार प्रभारित किये जायेंगे। हमने पाया कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान वास्तविक अधिकतम माँग का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था किन्तु जी ई योल छावनी ने अनुबंधित माँग के 90 प्रतिशत के स्थान पर एच पी एस ई बी की अनुबंधित माँग पर माँग प्रभारों का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के लिए जी ई द्वारा एच पी एस ई बी को माँग प्रभारों की बावत ₹19.68 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

<sup>46</sup> महु (एमपी), सहारनपुर (यूपी), पुरकाजी (यूपी), बाबूगढ़ (यूपी), दबधुआ (यूपी), देहरादून (यूके), तावी (संगरूर) उधमपूर, दापोदी (पुणे), पशान (पुणे), कानपुर, पचमढ़ी (एम पी) एवम् द्वारका (दिल्ली)।

**(ग) विद्युत शुल्क (ई डी) विद्युत कर/(ई टी) का अनियमित भुगतान**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 287 के अनुसार, राज्य का कोई भी कानून भारत सरकार के उपभोग हेतु विद्युत की आपूर्ति अथवा उपभोग पर कोई कर लगाने को अधिकृत नहीं है। इस प्रकार, सरकार द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर ई डी नहीं लगनी थी। तथापि, दो दुर्ग अभियंताओं ने सरकार द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा पर विद्युत आपूर्ति एजेन्सियों को ₹70.58 लाख के विद्युत ई डी/ई टी का भुगतान किया था जैसा कि तालिका -23 में नीचे दर्शाया गया है:-

**तालिका 23: जी ई वार भुगतान की गयी ई डी/ई टी की राशि**

क्रम सं.	जी ई का नाम	अवधि	राशि (₹ लाख में)
1.	जी ई चंडीगढ़	04/2001 से 03/2014 तक	58.76
2.	जी ई नई दिल्ली	04/2011 से 03/2014 तक	11.82
		<b>योग</b>	<b>70.58</b>

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (जून 2014), जी ई चंडीगढ़ ने जून 2014 में बताया कि भुगतान की गयी ई डी की वापसी/समायोजन के लिए मामला विद्युत आपूर्ति एजेन्सी के समक्ष उठाया जायेगा तथापि जुलाई 2015 तक ऐसा नहीं किया गया था। जी ई नई दिल्ली ने मामला नई दिल्ली महानगर पालिका (एन डी एम सी) के समक्ष नवम्बर 2014 में उठाया किन्तु एन डी एम सी ने विद्युत कर भुगतान की राशि को वापस करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि एन डी एम सी ने यह कर एन डी एम सी के 1994 के अधिनियम के तहत लगाया था और यह राज्य का कानून नहीं है। जी ई द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ई डी/ई टी भारत के संविधान के अनुच्छेद 287 का उल्लंघन करके लगाया गया था। ई डी/ई टी की भुगतान की गयी राशि अगस्त 2015 तक भी वसूल नहीं की गयी थी।

**(घ) चुँगी प्रभारों का अनियमित भुगतान**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 287 के प्रावधानों के अनुसार, रक्षा स्थापनाओं को विद्युत आपूर्ति पर चुँगी प्रभारों से छूट प्राप्त है तथापि हमने पाया कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पी एस सी एल) ने जालंधर छावनी को विद्युत आपूर्ति के मासिक बिलों पर अनियमिततापूर्वक चुँगी प्रभार प्रभारित किये थे। जी ई (ईस्ट) जालंधर छावनी ने जनवरी 2000 से जुलाई 2012 तक इस बाबत ₹ 2.70 करोड़ की राशि का भुगतान पी एस पी सी एल को किया था यद्यपि जुलाई 2012 के बाद चुँगी प्रभारों का भुगतान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, जी ई चण्डीगढ़ ने 'के' क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए पी एस पी सी एल को अप्रैल 2011 से जुलाई 2012 तक के लिए ₹3.18 लाख चुँगी प्रभारों का अनियमित भुगतान किया था।

जी ई (ईस्ट) जालंधर ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि वापसी के लिए मामला पी एस पी सी एल के साथ उठाया गया था तथा जी ई चण्डीगढ़ ने जून 2014 में सूचित किया कि राशि के समायोजन के लिए मामला पी एस पी सी एल के साथ उठाया जायेगा। तथापि, तथ्य यही कहता है कि दुर्ग अभियंताओं ने चुँगी की बाबत ₹2.73 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया जो कि अभी तक वापस आना बाकी है।

### (इ) एच टी आपूर्ति पर छूट का लाभ न उठाना

प्रेषण/रूपान्तरण हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य विद्युत बोर्ड/आपूर्ति एजेन्सियां अपने शुल्क अनुसूची में प्रावधान के अनुसार 11 के वी/33 के वी/ 66 के वी/132 के वी की थोक विद्युत आपूर्ति पर छूट प्रदान करती हैं।

हमने पाया कि दो दुर्ग अभियंताओं ने मासिक बिलों में अनुमन्य छूट का लाभ नहीं उठाया तथा एस ई बी/आपूर्ति एजेन्सियों को ₹1.24 करोड़ का अधिक भुगतान किया। इन मामलों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे वी वी एन एल) के 2011 की शुल्क अनुसूची के अनुसार 1500 के वी ए से 5000 के वी ए तक की अनुबन्धित मांग की मानक निर्धारित वोल्टेज आपूर्ति 33 के वी से होती है जिस पर 3 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है। जी ई (साउथ) जयपुर 5000 के वी ए की अनुबन्धित मांग की आपूर्ति 33 के वी द्वारा प्राप्त कर रहा था तथापि कोई छूट प्राप्त नहीं की गयी। इस प्रकार, 04/2011 से 03/2014 की अवधि में जे वी वी एन एल को ₹99.63 लाख का अधिक भुगतान किया गया। जी ई ने बताया (अगस्त 2014) कि वापसी/समायोजन हेतु मामला जे वी वी एन एल के साथ उठाया जा चुका था किन्तु यह अभी भी होना था (अगस्त 2015)
- इसी प्रकार, जी ई योल ने भी एच पी एस ई बी से अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक मानक आपूर्ति 11 के वी ए वोल्टेज के प्रति 33 के वी ए पर ऊर्जा प्राप्त की किन्तु तीन प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप एच पी एस ई बी को ₹24.40 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

हमने यह भी पाया कि जी ई गुरदासपुर सी एम डी को यथार्थपरक रूप से न घटा पाने के कारण, ₹52.08 लाख की छूट का लाभ नहीं उठा सका। मामले पर नीचे चर्चा की गयी है:

- पंजाब राज्य में, पी एस पी सी एल अपने सभी वर्तमान उपभोक्ताओं (01 अप्रैल 2010 से पूर्व) को जो आपूर्ति की शर्तों में निर्धारित के इतर

उच्चतर वोल्टेज, अर्थात् 4000 के वी ए तक भी निर्धारित माँग के प्रति 11 के वी पर विद्युत आपूर्ति, पर आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, को तीन प्रतिशत की एच टी छूट प्रदान करता है। यह पाया गया कि (अक्टूबर 2014) कि जी ई गुरदासपुर 7095 के डब्ल्यू की अनुबंधित माँग के प्रति 66 के वी पर आपूर्ति प्राप्त कर रहा था किन्तु अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक वास्तविक अधिकतम माँग 1597 के डब्ल्यू से 2929 के डब्ल्यू के बीच अर्थात् 3661 के वी ए (2929/0.8) रही थी जिसके लिए अनुमन्य आपूर्ति वोल्टेज 11 के वी थी। यदि जी ई द्वारा अनुबंधित माँग को यथार्थतापूर्वक घटाकर 4000 के वीए कर दिया गया होता तो उच्चतर वोल्टेज पर आपूर्ति करके जनवरी 2010 से मार्च 2013 की अवधि में तीन प्रतिशत की छूट ₹52.08 लाख प्राप्त की जा सकती थी।

#### (घ) सुरक्षा जमा पर ब्याज का समायोजन न होना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति कोड-2005 (अगस्त/सितम्बर 2006 में किया गया तीसरा संशोधन) के प्रावधानों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारक उपभोक्ता को लागू बिलिंग चक्र के अनुसार अप्रैल, मई अथवा जून में सुरक्षा जमा पर बिल में जमा के माध्यम से वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को लागू बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। हमने पाया कि दो दुर्ग अभियंताओं अर्थात् जी ई बबीना तथा जी ई झाँसी ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति एजेन्सी द्वारा बिलों में सुरक्षा जमा पर ब्याज का समायोजन न करने के कारण यू पी पी सी एल को ₹56.90 लाख का परिहार्य भुगतान किया। लेखापरीक्षा में इस बारे में इंगित किये जाने पर जी ई बबीना (सितम्बर 2014) तथा जी ई झाँसी (अक्टूबर 2014) ने बताया कि आगे के बिलों में ब्याज की वसूली की जायेगी जो कि अभी तक प्रतीक्षित (अगस्त 2015) थी।

#### 4.1.3.2 अनुबंधों में अधिकतम अनुबंधित माँग के बढ़ा हुआ होने के कारण माँग/निर्धारित प्रभारों का परिहार्य भुगतान

थलसेना मुख्यालय की ई-इन-सी शाखा ने जुलाई 2005 में निर्देश जारी किये थे कि अनुबन्ध में परिलक्षित अनुबंधित अधिकतम माँग (सीएमडी)<sup>47</sup> यथापरक आंकलन पर आधारित होनी चाहिये तथा यह स्टेशन पर वास्तविक अधिकतम माँग के अनुरूप होनी चाहिये। बढ़ी हुई सी एम डी के कारण न्यूनतम बिल योग्य माँग पर निश्चित प्रभारों के रूप में निष्फल भुगतान होता है जो कि सामान्यतः सी एम डी के 75 प्रतिशत होता है। इसी प्रकार सी एम डी के कम आंकलन के परिणामस्वरूप अधिक

<sup>47</sup> अनुबंधित अधिकतम माँग (सीएमडी)/अनुबंधित भार:- यह वह अधिकतम माँग है जिसके लिए उपभोक्ता तथा विद्युत आपूर्ति एजेन्सी के बीच किसी आपूर्ति बिन्दु पर विशिष्ट दरों पर आपूर्ति हेतु अनुबंध किया जाता है।

माँग प्राप्त करने पर दंडिक प्रभारों का भुगतान करना पड़ सकता है। विचलन के दोनों ही मामलों में जी ई को समय रहते संशोधित अनुबंध करना चाहिये।

30 स्टेशनों में से हमने पाया कि 13 स्टेशनों पर जहाँ अनुबंधित माँग वर्तमान आवश्यकता से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप 13 जी ई द्वारा आपूर्ति एजेन्सियों को न्यूनतम माँग/ निश्चित प्रभारों के रूप में ₹3.98 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा, जिसका विवरण **अनुलग्नक-XII** में दिया गया है।

निश्चित प्रभारों के निष्फल भुगतान सम्बंधित तीन महत्वपूर्ण मामलों का विस्तृत रूप में नीचे चर्चा की गई है:-

- दबथुआ सैन्य स्टेशन (मेरठ) पर वर्तमान सी एम डी 378 के वी ए थी। सितम्बर 2009 में, स्टेशन पर रक्षा संचार नोड (डी सी एन) की अधिसंरचना सृजित करने की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके लिए 378 के वी ए के विद्युत भार को 1600 के वी ए तक उन्नयन किया जाना था। सेना द्वारा डी सी एन की अधिसंरचना के प्रावधान की परियोजना मार्च 2010 में संस्वीकृत की गयी तथा कार्यान्वयन दिसम्बर 2011 में आरम्भ हुआ, जो कि जनवरी 2014 तक पूर्ण होना था। डी सी एम की अधिसंरचना के कार्यान्वयन से पूर्व ही जी ई ने जनवरी 2011 में विद्युत आपूर्ति एजेन्सी से दबथुआ में भार को 1600 के वी ए तक उन्नयन करने का अनुरोध किया तथा भार बढ़ाने के लिए जनवरी 2012 में ₹44.46 लाख जमा करा दिये। विद्युत आपूर्ति एजेन्सी ने अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2013 तक के मासिक बिलों पर 283.5 के वी ए (378 के वी ए का 75 प्रतिशत) के स्थान पर 1200 के वी ए भार (1600 के वी ए के 75 प्रतिशत) पर माँग प्रभार लगाये, जिनका जी ई ने भार वृद्धि का अनुबंध किये बिना ही भुगतान कर दिया। यद्यपि डी सी एन परियोजना हेतु अधिसंरचना कार्य पूर्ण न होने के कारण स्टेशन पर वास्तविक बिल योग्य माँग अनुबंधित 378 के वी ए भार से भी कम थी। इस प्रकार, विद्युत आपूर्ति एजेन्सी को अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2013 के दौरान ₹40.44 लाख के माँग प्रभारों का अनावश्यक भुगतान किया गया था।
- जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे वी वी एन एल) द्वारा विद्युत बिलों में अप्रैल 2009 से मार्च 2013 की अवधि में अशुद्ध अनुबंधित माँग दर्शाये जाने के कारण जी ई सूरतगढ़ ने निश्चित प्रभारों की बावत ₹93.25 लाख का परिहार्य भुगतान किया था। हमने पाया कि यद्यपि सी एम डी 2600 के वी ए थी, किन्तु जे वी वी एन एल 4600 के वी ए के लिए निश्चित प्रभारों की वसूली कर रहा था। चीफ इंजीनियर भटिंडा जॉन ने ₹93.25 लाख के गलत भुगतान को स्वीकार किया (नवम्बर 2014), जिसमें से ₹29.46 लाख मई 2014 के बिल में समायोजित किये गये थे। आगे यह भी बताया गया कि बाकी राशि के समायोजन हेतु विद्युत आपूर्ति एजेन्सी के साथ मामला उठाया



जायेगा। अधिक भुगतान किये गये ₹63.79 लाख की शेष-राशि का समायोजन अभी तक प्रतीक्षित था।

- इसी प्रकार जी ई (ईस्ट) जबलपुर केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर (सी ओ डी) के आधुनिकीकरण की प्रत्याशा में अतिरिक्त आवश्यकता के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के साथ 1700 के वी ए सी एम डी विद्युत की आपूर्ति हेतु अनुबंध किया (जुलाई 2011)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी ओ डी का आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण जुलाई 2013 के अलावा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान वास्तविक अभिलेखित माँग सी एम डी के 50 प्रतिशत से कम रही थी। इस प्रकार, अवास्तविक सी एम डी के कारण जी ई द्वारा 2013-14 के दौरान ₹37.53 लाख के निश्चित प्रभारों का परिहार्य भुगतान किया गया था। जी ई ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि माँग को घटाकर 750 के वी ए करने का मामला उठाया गया है।

#### 4.1.3.3 दंड/अधिभार का परिहार्य भुगतान

उपभोक्ता को अधिभार/दंड के भुगतान से बचने के लिए, संबन्धित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पी एफ (0.85 से 0.90) बनाये रखने की आवश्यकता होती है। ई-इन-सी शाखा, थलसेना मुख्यालय, नई दिल्ली ने उच्चतर पीएफ पर सभी प्रोत्साहनों का लाभ उठाने तथा कम पीएफ पर दंडिक प्रभारों से बचने के लिए सभी थोक उपभोक्ताओं के लिए पी एफ को 0.95 या इससे अधिक बनाये रखने के लक्ष्य जून 2004 में निर्धारित किये थे।

हमने प्रेक्षित आठ जी ई में से एक चयनित जी ई सहित पंजाब राज्य स्थित सात जी ई में पाया कि थोक विद्युत आपूर्ति के अधिग्रहण बिन्दु पर पी एस पी एस सी एल द्वारा निर्धारित 0.90 पी एफ बनाये नहीं रखा गया था। परिणामस्वरूप उन्हें अप्रैल 2010 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹92.69 लाख की अधिभार राशि का भुगतान करना पड़ा था।

#### 4.1.3.4 अनुबंधित भार की वृद्धि में देरी के कारण अधिभार का परिहार्य भुगतान

जी ई (I) आर एंड डी, आर सी आई हैदराबाद ने मार्च 2011 में विद्यमान 10 मैगावोल्ट एमपीयर (एम वी ए) की सी एम डी को बढ़ाकर 14 एम वी ए कराने के लिए आंध्रप्रदेश केन्द्रीय ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड (ए पी टी आर ए एन एस सी ओ) को ₹92.72 लाख राशि का भुगतान किया। तथापि, जी ई ने पिछले वर्ष की ऊर्जा उपभोग के दृष्टिगत 10 एम वी ए सी एम डी को 12 एम वी ए सी एम डी में संशोधित करने हेतु आवेदन किया (फरवरी 2013), जो कि जून 2013 में लागू हुआ। तथापि, अनुबंधित भार को बढ़वाने में दो वर्ष के विलम्ब के कारण इस बीच की अवधि के दौरान जी ई द्वारा ₹90.46 लाख के दंडिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान

किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2014), जी ई (I) आर एंड डी ने बताया (अक्तूबर 2014) कि शीघ्र ही विद्युत उर्जा माँग बढ़ने की प्रत्याशा में अतिरिक्त चार एम वी ए अवमुक्त करने के लिए ए पी टी आर ए एन एस सी ओ के पास ₹92.72 लाख की राशि जमा करा दी किन्तु प्रत्याशा के अनुरूप आर सी आई की आवश्यकता में वृद्धि नहीं हुई थी।

#### 4.1.3.5 साख पत्र (एल सी) खोलने में देरी के कारण छूट की हानि।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डी ई आर सी) के मार्च 2007 के आदेशानुसार भुगतान सुरक्षा तन्त्र की स्थापना हेतु विद्युत उत्पादक कम्पनी मैसर्स प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पी पी सी एल) और विद्युत प्रेषण कम्पनी दिल्ली टांसको लिमिटेड (डी टी एल) वितरण धारकों द्वारा अपने अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार साख पत्र खोलने पर मासिक बिलों पर दो प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी।

दिल्ली में एम ई एस को माना हुआ अनुज्ञप्ति धारक का ओहदा प्राप्त है। वायु सेना और डी आर डी ओ कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों सहित पूरे दिल्ली छावनी में बाहरी विद्युत आपूर्ति के वितरण एवं देखभाल हेतु जी ई (यूटिलिटी) को केन्द्रक अभिकरण बनाया है। उत्पादक/प्रेषण कम्पनियों के साथ अनुबन्ध/साख पत्र के कार्यान्वयन में देरी के कारण, जी ई (यूटिलिटी) विद्युत आपूर्ति दिल्ली छावनी अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के मासिक बिलों में दो प्रतिशत छूट (₹61.74 लाख) नहीं प्राप्त कर सका जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- दिसम्बर 2011 से एम ई एस पी पी सी एल, बवाना दिल्ली से 25 एम डब्ल्यू विद्युत प्राप्त कर रहा था। तथापि, विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी पी ए) पर केवल 10 सितम्बर 2012 को हस्ताक्षर हुआ जबकि मंत्रालय ने इसे दिसम्बर 2011 में अनुमोदन दे दिया था। दो प्रतिशत छूट प्राप्त करने हेतु साख पत्र अगस्त 2013 में खोला गया जो कि दिसम्बर 2013 तक वैध था। पी पी ए के साइन होने तथा साख पत्र के खोलने में देरी के कारण ₹22.53 लाख की छूट एम ई एस प्राप्त नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक हानि हुई।
- दिल्ली में विद्युत प्रेषण की जिम्मेदारी डी टी एल की थी और एम ई एस सहित सभी वितरकों को उनके साथ विद्युत प्रेषण अनुबन्ध (बी पी टी ए) पर हस्ताक्षर किये जाने थे। डी टी एल ने अपने मासिक बिलों पर दो प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव भी किया, यदि भुगतान साख पत्र के द्वारा किया जाये। जी ई (यूटिलिटी) इलेक्ट्रिक सप्लाइ दिल्ली छावनी द्वारा बी पी टी ए के हस्ताक्षर बिना अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु ₹19.60 करोड़ का प्रेषण प्रभारों का भुगतान डी टी एल को कर दिया था जिस पर दो प्रतिशत ₹39.21 लाख की छूट, एल सी नहीं खोलने कारण प्राप्त नहीं की जिसके कारण सरकार को हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2014 में

बताये जाने पर जी ई (यूटीलिटी) दिल्ली छावनी ने नवम्बर 2014 में सूचित किया कि एम ई एस और डी टी एल के बीच बी पी टी ए हस्ताक्षर का मामला मंत्रालय के पास प्रगति पर था इसलिए बी पी टी ए पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने पर ही साख पत्र खुलना सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार बी पी टी ए हस्ताक्षर न होने तथा साख पत्र न खोलने के परिणामस्वरूप सरकार ₹39.21 लाख की हानि हुई। बी पी टी ए पर अभी भी हस्ताक्षर होना बाकी था (अगस्त 2015)।

#### 4.1.4 विद्युत प्रभारों की गैर/कम वसूली

मंत्रालय ने अक्टूबर 2005 में 01 नवम्बर 2005 से अधिकारियों, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों (जे सी ओस) तथा अन्य रैंक हेतु विद्युत की 100 यूनिट प्रति माह मुफ्त देना तय किया। ई एन सी ब्रांच थल सेना मुख्यालय ने नवम्बर 2005 और अक्टूबर 2006 में निर्देशित किया कि मुफ्त सीमा से अधिक निर्धारित प्रभार, मीटर किराया और विद्युत कर जैसा कि सिविल प्राधिकारियों द्वारा सामान्य जनता जो कि आस-पास की कालोनी में रहती है, से वसूला जाता है, सभी घरेलू उपभोक्ताओं से भी उसी दर पर वसूली योग्य था। भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया में एम ई एस के मीटर रीडर द्वारा मीटर माप को दर्ज किया जाना एम ई एस राजस्व कर्मचारियों द्वारा ले.अ. (जी ई.) को वसूली का प्रतिवेदन<sup>48</sup> प्रस्तुत करना एवम ले.अ. जी ई द्वारा बिल तैयार कर सम्बन्धित भुगतान एवं लेखा अधिकारियों (पी ए ओ) को व्यक्तिगत रनिंग लेजर एकाउन्ट (आई आर एल ए) से वसूली हेतु भेजा जाना और पी ए ओ द्वारा बिलों की प्राप्ति होने की निगरानी करना सम्मिलित है।

हमने निर्धारित प्रभारों, उर्जा प्रभारों, मीटर किराया, विद्युत कर, नियामक अधिभार और अन्य करों की कम/गैर वसूली होने के कारण सरकार को ₹23.66 करोड़ की राजस्व हानि पायी, जिसकी नीचे चर्चा की है:-

##### 4.1.4.1 निर्धारित प्रभारों (एफ सी) की कम/गैर वसूली

राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत आपूर्ति एजेन्सियां अनुमन्य शुल्क अनुसूची में अधिसूचित दरों पर बिलों में विद्युत भार (थोक आपूर्ति) के आधार पर निर्धारित प्रभार लगाती हैं। सभी भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रभार उसी दर पर, जैसे कि सामान्य लोग जो कि आस-पास की कालोनी में रहते हैं, से सिविल प्राधिकारी वसूली करते हैं, वसूल किये जाते हैं। दस सैन्य स्टेशनों पर 12 जी ई द्वारा ₹2.45 करोड़

<sup>48</sup> रिटर्न आफ रिकवरी (इलेक्ट्रिक) - इस प्रलेख में विभिन्न व्यक्तियों से लिए जाने वाले बिजली प्रभार जो कि लेखा कार्यालयों एम ई एस द्वारा बिल बनाये जाते हैं, को दिखाया जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली संकलित राशि को भी इसमें दिखाया गया है।

के निर्धारित प्रभारों की कम/गैर वसूली की गयी जिसका विवरण **अनुलग्नक - XIII** में दर्शाया गया है।

जी ई (पूर्व) बरेली और जी ई(I) आर एण्ड डी कानपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में सही दर पर निर्धारित प्रभारों की वसूली की जायेगी। अन्य दस जी ई ने कोई उतर नहीं दिया (अगस्त 2015)।

- जी ई नोर्थ और जी ई (साउथ) मेरठ कैंप ने भी भुगतान करने वाले अपने उपभोक्ताओं से जून 2011 तक निर्धारित प्रभारों की वसूली नहीं की थी। यह केवल लेखापरीक्षा के कहने पर हुआ कि जी ई ने जुलाई 2011 से वसूली करनी शुरू की। हमने दिसम्बर 2004 से जून 2011 तक क्रमशः ₹5.27 करोड़ और ₹3.93 करोड़ की वसूली नहीं किये जाने की गणना की।

#### **4.1.4.2 भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को बिल जारी करने में देरी**

जल्द से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी जी ई की है। भुगतान करने वाले प्रत्येक उपभोक्ता से वसूल किये जाने वाले विद्युत प्रभारों को दर्शाते हुए वसूली प्रतिवेदन बी एस ओ द्वारा ले.अ (जी ई) को मासिक बिल जारी करने हेतु भेजा जाता है।

हमारे संज्ञान में आया है कि उर्जा प्रभारों की वसूली हेतु बिल बी एस ओ द्वारा समय से प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी राशि के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी थी। कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गयी है:-

- उतरी कमान में स्थित तीन जी ई<sup>49</sup> और पश्चिमी कमान में एक जी ई<sup>50</sup> ने रिहायशी मकानों के विद्युत के बिल जारी नहीं किये जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2013-14 तक के ₹2.84 करोड़ लेने बकाया थे। जी ई (उतरी) उधमपुर और जी ई मामून (सितम्बर 2014) ने बताया कि बिल जारी करने के लिए प्रयास जारी थे। जी ई नागरोटा और जी ई (दक्षिण) उधमपुर (अगस्त 2015) ने कोई उतर नहीं दिया।
- अहमदाबाद स्टेशन पर, बी एस ओ, जी ई सैन्य अहमदाबाद ने जे सी ओ/ओ आर के 2011-12 से 2013-14 तक के वसूली प्रतिवेदन जारी नहीं किये थे। यह केवल तीन वित्तीय वर्षों के अन्तराल के बाद था कि अगस्त 2014 में ₹44.91 लाख के बिल जारी किये। जी ई ने उतर दिया (सितम्बर 2014) कि मीटर रीडर की उपलब्धता न होने के कारण देरी हुई थी। ऐसे ही जी ई(I) आर एण्ड डी आर सी आई, हैदराबाद जे सी ओ /ओ आर को आंबटित 135

<sup>49</sup> जी ई नागरोटा, जी ई (उतर) उधमपुर और जी ई (दक्षिण) उधमपुर

<sup>50</sup> जी ई (उतर) मामून।

आवासीय मकानों का वसूली प्रतिवेदन जारी नहीं कर रहा था। वसूली प्रतीक्षित थी (अगस्त 2015)।

#### 4.1.4.3 मीटर किराये की गैर- वसूली

थल सेना मुख्यालय, ई एन सी शाखा नई दिल्ली के नवम्बर 2005 के पत्र के अनुसार, सभी भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से मीटर किराये की वसूली उसी प्रकार से की जानी है जैसा कि सिविल प्राधिकारी आस-पास की कालोनी में रह रही जनता से वसूलते हैं। हमने पाया कि चार जी ई द्वारा ₹92.62 लाख के मीटर किराये की घरेलू उपभोक्ताओं से वसूली नहीं की गयी थी यद्यपि सिविल प्राधिकारियों द्वारा सामान्य जनता से उसकी अनुमन्य दरों पर वसूली की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, एक जी ई ने संशोधित दर नहीं अपनाने के कारण ₹15.87 लाख कम वसूले। इस तरह के मामले **अनुलग्नक XIV** में दिये हैं।

लेखापरीक्षा में द्वारा इंगित करने पर, जी ई (पूर्व) जबलपुर को छोड़कर सभी जी ई ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जून 2014 से अक्टूबर 2014) कि बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे, जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित था।

#### 4.1.4.4 विद्युत कर (ई डी) की कम वसूली

यू पी पी सी एल ने सितम्बर 2012 से ई डी को ₹0.09 प्रति यूनिट से विद्युत प्रभारों (उर्जा+निर्धारित प्रभार) को 5 प्रतिशत संशोधित किया। जी ई बबीना ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2014 तक घरेलू उपभोक्ताओं से संशोधित दरों पर ई डी की वसूली नहीं की, जिसके फलस्वरूप ₹16.36 लाख की कम वसूली हुई। जी ई बबीना वसूली के लिए पूरक बिल जारी करने के लिए सहमत हुए। इसी प्रकार, जी ई झाँसी ने ई डी को संशोधित दरों पर वसूली नहीं की जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 2012 से मार्च 2014 तक ₹10.79 लाख की कम वसूली हुई। लेखापरीक्षा ने जब इस पर पूछा तो जी ई झाँसी ने कहा (अक्टूबर 2014) कि उन्हें संशोधित दरों का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी संशोधित दरों पर वसूली की जाएगी जो कि अभी अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थी।

#### 4.1.4.5 उर्जा प्रभारों की गैर/कम वसूली

समय-समय पर निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार सही दरों पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली को बी एस ओ तथा ले.अ. (जी ई) उतरदायी है। हमने घरेलू उपभोक्ताओं, मैस, सस्थानों, निजी पक्षों आदि से ₹3.56 करोड़ के उर्जा प्रभारों की कम/गैर वसूली पाई, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

### घरेलू उपभोक्ता

- यू पी पी सी एल ने 10 जून 2013 से सभी उपभोक्ताओं के लिए उर्जा प्रभारों तथा निर्धारित प्रभारों की दरें संशोधित कीं। जी ई (पूर्व) लखनऊ ने विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से अप्रैल 2014 से उर्जा एवं निर्धारित प्रभारों की संशोधित दरें लागू की। इस प्रकार, प्रभावी तारीख से संशोधित दरे न लागू करने के परिणामस्वरूप जुलाई 2013 से मार्च 2014 तक ₹16.17 लाख की घरेलू उपभोक्ताओं से कम वसूली हुई।
- रक्षा मंत्रालय के दिसम्बर 1998 के पत्र के अनुसार एम ई एस संबंधित स्टेशन पर अनुमन्य विद्युत की दरें एस ई बी/आपूर्ति एजेन्सियों से प्राप्त करेंगे तथा समय-समय पर अनुगामी बदलावों को भी सुनिश्चित करेंगे। पश्चिम बंगाल ऊर्जा नियामक आयोग (डब्ल्यू बी ई आर सी) ने दिसम्बर 2012 में शुल्क संशोधित की, जो कि 1 अप्रैल 2012 से लागू थी तथा शुल्क में ₹1.10 प्रति यूनिट की न्यूनतम वृद्धि थी। तथापि, जी ई (एन) बिनागुरी ने 1 अप्रैल 2012 से संशोधित दरें लागू नहीं की, जिसके फलस्वरूप 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि में ₹ 65.19 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई। बताये जाने पर जी ई ने लेखापरीक्षा को सही ठहराते हुए कहा कि शुल्कों की प्राप्ति न होने के कारण संशोधित दरें प्रभावी नहीं थी। जी ई का जवाब अस्वीकार्य है क्योंकि यह एम ई एस की जिम्मेदारी है कि वह विद्युत प्रभारों में परिवर्तन को एस ई बी से प्राप्त करे।
- सेना इंजीनियर सेवा नियमावली (आर एम ई एस) के अनुसार वसूली प्रतिवेदन बनाने का उत्तरदायित्व बी एस ओ का है। अलीपुर स्टेशन पर, जे सी ओ/ ओ आर के आवासीय भवनों में विद्युत मीटर सही नहीं होने के कारण विद्युत प्रभारों की वसूली सितंबर 2003 के बोर्ड आफ ऑफिसर द्वारा निश्चित विद्युत की युनिटों के आधार पर होनी थी। मीटर रीडर की कमी तथा बी एस ओ की तैनाती न होने के कारण जी ई अलीपुर क्षेत्र के बिल जारी नहीं हो सके परिणामस्वरूप 01 अप्रैल 2011 से 31 दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए ₹25.22 लाख के राजस्व वसूल नहीं हुए, जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थे।

### मैस/संस्थान

- बबीना सैन्य स्टेशन पर बिजली चार्ज बिना विद्युत मीटर के स्थापित (120) ए सी एवं कूलरो के प्रति अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ₹1.29 करोड़ की राशि के विद्युत प्रभार अधिकारियों के मैसों से वसूल नहीं हुए थे। जी ई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए सितम्बर 2014 में कहा कि मामला स्टेशन हैडक्वार्टर से वसूली के लिए उठाया गया है जो कि अभी प्रतीक्षित था।

- जी ई सतवारी ने दो ऑफिसर मैसों/संस्थानों में लगे ए सी के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा नियत यूनिट के आधार पर विद्युत प्रभारों की वसूली नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2014 तक के लिए ₹9.85 लाख की गैर वसूली में हुई जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित था।

### निजी पक्ष

मंत्रालय के दिसम्बर 1998 में आदेश किया कि निजी उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली पिछले वर्ष के “ऑल इन कास्ट”<sup>51</sup> की दरों पर की जानी थी। तथापि जी ई के साथ-साथ प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में ले.अ. जी ई ने “ऑल इन कास्ट” दरों पर विद्युत प्रभारों की वसूली हेतु मंत्रालय के आदेश की अनुपालना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹1.11 करोड़ के विद्युत प्रभारों की निजी पक्षों से वसूली नहीं हुई जैसा कि नीचे बताया गया है:-

- जी ई (बेस हॉस्पिटल) दिल्ली छावनी ने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली छावनी और मेडिकल हॉस्टल (निजी उपभोक्ता) से नवम्बर 2012 से जुलाई 2014 तक ₹5.08 प्रति यूनिट की दर से विद्युत प्रभारों की वसूली की। तथापि पिछले वर्ष की ऑल-इन-काल दरें, वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए अनुमन्य दरें क्रमशः ₹5.15 और ₹6.70 प्रति यूनिट थीं। परिणामस्वरूप ₹26 लाख की वसूली कम हुई थी इसमें से जी ई (बेस हॉस्पिटल) ने फरवरी 2015 में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से ₹17.54 लाख की वसूली कर ली थी और ₹8.46 लाख की शेष राशि (अगस्त 2015) वसूलनी बाकी थी।
- आर्मी पब्लिक स्कूल, नहेरू रोड लखनऊ के साथ-साथ हॉस्टल निर्माण सन् 2000 में हुआ था, लेकिन विद्युत के उपयोग को दर्ज करने के लिए एम ई एस द्वारा स्कूल में कोई भी विद्युत मीटर नहीं लगाया हुआ था। हमने यह देखा कि जी ई (पूर्व) लखनऊ ने कोई भी बिल स्कूल को नहीं दिया। लेखापरीक्षा ने स्कूल द्वारा उपभोग की गई विद्युत की वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के लिए ₹9.80 लाख की “ऑल इन कास्ट” की गणना की जो कि अगस्त 2015 तक वसूल नहीं की जा रही थी।
- इसी प्रकार, जबलपुर में आर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अप्रैल 2001 से आर्मी पब्लिक स्कूल सं. 02 चलाया जा रहा था। लेकिन अप्रैल 2001 से सितम्बर 2013 तक स्कूल से विद्युत प्रभारों की वसूली नहीं हुई थी। बी एस ओ (पश्चिम) जबलपुर ने अक्टूबर 2014 में उत्तर दिया कि ₹5.66 लाख बकाया की वसूली के लिए वसूली प्रतिवेदन दे दिया था। ₹5.66 लाख की वसूली अभी प्रतीक्षित थी (अगस्त 2015)।

<sup>51</sup> “ऑल इन कास्ट” - विद्युत की “ऑल इन कास्ट” सभी कुल संचालन की लागत को वास्तविक पूर्ति की कुल मात्रा से भाग लेकर निकाला जाता है।

- जी ई सतवारी और जी ई (कंगरा हिल्स) योल ने निजी पक्षों जैसे छावनी बोर्ड, सैन्य फार्म, दुकानें आदि हेतु बिल जारी करते समय “ऑल इन कास्ट” की अनुमन्य दरें लागू नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान ₹14.96 लाख की कम वसूली हुई थी। ₹14.96 लाख की वसूली अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थी।
- जी ई (पश्चिम) और जी ई (पूर्व) जबलपुर ने निजी उपभोक्ताओं जैसे आर्मी वाईफ वेलफेयर एसोसिएशन (ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए), बैंक, केबिल नेटवर्क, कैंटिन स्टोर डिपार्टमेंट कैंटिन आदि को 2011-12 से 2013-14 तक बिजली बिल नहीं दिये थे जिस कारण से सरकार को काफी हानि हुई। वसूली प्रतिवेदन न होने के कारण, हानि की गणना नहीं की जा सकी। जी ई ने कोई उतर नहीं दिया।
- दक्षिण कमान के छः जी ई<sup>52</sup> ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान निजी पक्षों जैसे दुकानें, ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए, ए टी एम वेट कैंटिन से “ऑल इन कास्ट” की दरों पर विद्युत प्रभार वसूल नहीं किये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹67.49 लाख के विद्युत प्रभारों की कम वसूली हुई। चार जी ई, अर्थात् (जी ई आर्मी), अहमदाबाद, जी ई (सी एम ई), किरकी, पुणे, जी ई (आई) आर एण्ड डी (ईस्ट), बेंगलूरु और जी ई (आर्मी) त्रिवेन्द्रम ने उतर दिया कि “ऑल इन कास्ट” दरों को अन्तिम रूप देने में हुई देरी के कारण सही दर पर वसूली नहीं हो सकी और उपभोक्ताओं से वसूली करने के लिए सहमति दी। बाकी के दो जी ई ने अगस्त 2015 तक कोई उतर नहीं दिया।
- जी ई अहमदाबाद ने एक निजी पक्ष गौरव सेनानी भवन से जून 2011 से अप्रैल 2014 तक उपभोग की गई विद्युत यूनिट (1,21,241) पर “ऑल इन कास्ट” दरों के स्थान पर घरेलू दरें प्रभावित की जिसका परिणाम ₹4.18 लाख की कम वसूली में हुआ। जी ई ने कम वसूली को स्वीकारते हुए सितम्बर 2014 में वसूली के लिए ₹4.18 लाख की वसूली हेतु बिल जारी किये जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थे।

#### 4.1.4.6 खराब मीटर्स

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 55 में प्रावधान है कि किसी भी भवन/उपभोक्ता को बिना मीटर के आपूर्ति नहीं दी जानी चाहिए भले ही विद्युत मुफ्त में दी जा रही हो। विद्युत के अधिक उपयोग की वसूली हेतु ई इन सी शाखा द्वारा जून 2008 में जारी स्थायी प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के अनुसार अकार्यरत मीटर्स को दो महीने के भीतर बदलना चाहिए।

<sup>52</sup> जी ई (एन) सांताक्रूज, जी ई ई/एम, सिकन्दराबाद, जी ई (आर्मी) अहमदाबाद, जी ई (सीएमई) किरकी पूणे, जी ई (I) आर एण्ड डी ईस्ट, बेंगलोर तथा जी ई आर्मी त्रिवेन्द्रम।



हमने यह देखा कि लखनऊ, जबलपुर, बबीना बिनागुरी, अलीपुर (कोलकाता) और दिल्ली छावनी स्टेशनों पर पिछले तीन सालों से खराब मीटर्स को कार्यरत नहीं किया गया था। दिल्ली छावनी में 13060 मकानों में से 5943 मकानों (46 प्रतिशत) के मीटर खराब थे। ज्यादातर खराब मीटर 75 प्रतिशत जी ई (पूर्व) के पास थे। इसी तरह बबीना में 66 प्रतिशत तथा जबलपुर में 20 प्रतिशत विद्युत मीटर दो वर्षों से खराब थे। 3 वर्ष से अधिक के पहले स्टेशन बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा तय औसतन यूनिट के आधार पर कुछ जी ई द्वारा उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली की गयी। कार्यरत मीटर लगे न होने के कारण विद्युत यूनिट की वास्तविक अधिक खपत गणना नहीं की जा सकी जिससे राजस्व की हानि को नहीं गिना जा सका। यद्यपि, इन स्टेशनों पर बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति विद्युत अधिनियम तथा ई-इन-सी स्थायी प्रचालन प्रक्रिया का इस विषय पर उल्लंघन था। लेखापरीक्षा के बताये जाने पर, जी ई (पश्चिम) जबलपुर ने अक्टूबर 2014 में कहा कि खराब मीटरों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर से बदला जा रहा था। जी ई (ई/एम) बेस अस्पताल दिल्ली छावनी ने नवम्बर 2014 में कहा कि खराब/अप्रयोज्य मीटर्स को किफायती मरम्मत से परे घोषित किये जाने का कार्य चल रहा था। अन्य जी ई ने कोई उतर अगस्त 2015 तक नहीं दिया।

#### 4.1.4.7 अन्य प्रभारों की गैर वसूली

##### (क) विनियमन अधिभार

यू पी पी सी एल ने ऊर्जा प्रभारों पर विनियमन अधिभार लागू किया, जो कि सभी उपभोक्ताओं पर जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावी था। लेकिन जी ई (पूर्व) लखनऊ और जी ई बबीना ने भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से इसे नहीं वसूला जिसके परिणामस्वरूप जून 2013 से मार्च 2014 तक ₹9.02 लाख की कम वसूली हुई। जी ई ने कम वसूली को माना (अगस्त 2014) और उसकी शीघ्र वसूली की सहमति दी जो कि अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थी।

##### (ख) ईंधन अधिभार

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 10 अप्रैल 2012 से ऊर्जा प्रभारों के एक हिस्से के रूप में ईंधन कीमत समायोजन (एफ सी ए) लागू किया लेकिन बी एस ओ (पश्चिम) जबलपुर ने सेवारत व्यक्तियों और रक्षा सिविलियन से इसकी वसूली नहीं की। बी एस ओ ने अक्टूबर 2014 में कहा कि मई 2012 से मार्च 2014 तक ₹11.80 लाख की राशि के एफ सी ए की कम वसूली हुई, जिसे वसूला जायेगा।

- दक्षिण कमान के 5 जी ई<sup>53</sup> ने एफ ए सी को 2011-12 से 2013-14 तक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से नहीं वसूला, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.60 करोड़ के राजस्व की वसूली कम हुई। लेखापरीक्षा के बताये जाने पर दो जी ई<sup>54</sup> ने भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से एफ ए सी प्रभारित करने की सहमति दी। अन्य जी ई ने कोई उतर नहीं दिया (अगस्त 2015)।

### निष्कर्ष

इस प्रकार, एम ई एस में आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र तथा विद्युत प्रभारों की वसूली व भुगतान निगरानी में कमी के कारण ₹24.54 करोड़ का विद्युत आपूर्ति एजेन्सियों को अधिक भुगतान किया और ₹23.66 करोड़ उपभोक्ताओं से कम वसूले। इसके अतिरिक्त, समय पर विद्युत बिल उपभोक्ताओं को नहीं दिये जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की काफी हानि हुई।

यह मामला मई 2015 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

### 4.2 परियोजना के निष्पादन का अपर्याप्त निरीक्षण

भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून में अभियंताओं द्वारा काम के निष्पादन के अपर्याप्त निरीक्षण के परिणामस्वरूप ₹22.75 करोड़ की लागत का मुख्य भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा। पाँच वर्ष के विलम्ब ने न केवल आई एम ए में प्रशिक्षणरत जैन्टलमैन कैडेटों (जी सी) को आधुनिक सुविधा से युक्त उचित प्रशिक्षण से वंचित रखा बल्कि ₹2.50 करोड़ के मूल्य की अन्य प्रशिक्षण परियोजना को भी बाधित किया।

रक्षा कार्य प्रक्रिया- 2007 परियोजना के कार्यों के निष्पादन के सामयिक एवं मूल्य प्रभावी संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निरीक्षण पर बल देती है।

मुख्य अभियंता (सी ई) बरेली क्षेत्र (जुलाई 2014) एवं भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए) देहरादून (सितम्बर 2014) की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि परियोजना के अपर्याप्त निरीक्षण के कारण कार्य के निष्पादन में पाँच वर्षों का विलम्ब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण आवश्यकताओं वाली उपभोक्ता परियोजनाओं की स्थापना नहीं हो सकी। मामला नीचे चर्चित है:-

<sup>53</sup> जी ई (ई एम)/ बी एस ओ (एस) सिकन्दराबाद, जी ई (आर्मी) अहमदाबाद, जी ई (I) आर एण्ड डी आर सी आई हैदराबाद, जी ई (सी एम ई) दापोदी पुणे और जी ई (एन) संताक्रुज।

<sup>54</sup> जी ई (सी एम ई), दापोदी, पुणे तथा जी ई (आर्मी) अहमदाबाद।

आई एम ए देहरादून एक प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है एवं जेंटलमेन कैडेटों (जी सी) को कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। आई एम ए के जी सी के लिए निर्बाध सेवाओं के संचालन एवं शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2006 में अनुमानित राशि ₹21.40 करोड़ की लागत पर आई एम ए में प्रशिक्षण दल तथा शैक्षणिक ब्लॉक (टी ए बी) के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की जिसको बाजार के उतार-चढ़ाव एवं भण्डारण के मूल्यों की भिन्नता (एम वी एम डी सी एस) के बढ़ने के कारण ₹23.97 करोड़ पर दिसम्बर 2007 में संशोधित किया गया। परियोजना में जी सी के लिए कक्षाओं, व्याख्यान हॉल, रेत के नमूनों के कमरे, जी सी हेतु कम्प्यूटर लैब एवं प्रशिक्षण दल के लिए कार्यालय आवास और शैक्षिक विभाग के साथ समवर्ती सेवाएं समाविष्ट की गई थीं।

सी ई बरेली क्षेत्र ने मेसर्स विलायती राम मित्तल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ ₹22.75 करोड़ की संविदा दिसम्बर 2007 में मुख्य निर्माण कार्य, यथा टी ए बी के निर्माण के लिए की। कार्य आरंभ एवं अंत करने की तिथि क्रमानुसार 5 जनवरी 2008 एवं 4 जनवरी 2010 थी। ठेकेदार कार्य को नियत तिथि तक पूर्ण नहीं कर पाया एवं जुलाई 2010 में केवल 43 प्रतिशत ही कार्य पूर्ण हो पाया। मन्द गति से कार्य प्रगति के बावजूद सी ई द्वारा तीन बार से अधिक समयावधि बढ़ाई गई। ठेकेदार कार्य की प्रगति को बढ़ा नहीं पाया एवं आखिरकार अगस्त 2011 में 50.51 प्रतिशत विकसित कार्य पर चूककर्ता ठेकेदार के खतरे एवं मूल्य पर ठेके का निरसन कर दिया गया। अपितु, ठेकेदार ने सितम्बर 2011 में सेना मुख्यालय में मुख्य अभियंता (ई इन सी) के पास जाकर उन्हें 31 अगस्त 2012 तक कार्य को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता जताई। इस वचन के अनुसार, ई इन सी ने सी ई को ठेका निरसन आदेश रद्द करने का निर्देश दिया कि ठेकेदार कम से कम पाँच प्रतिशत की मासिक कार्य प्रगति पर दर प्राप्त करेगा। रद्द ठेके का प्रतिसंहरण सी ई द्वारा अक्टूबर 2011 में किया गया एवं ठेकेदार को कार्य जारी रखते हुए अगस्त 2012 तक पूर्ण करने की स्वीकृति दे दी गई। ठेकेदार कार्य पर उद्यमी तरीके से प्रगति नहीं कर पाया एवं मासिक 5 प्रतिशत का लक्ष्य अनुसरित नहीं हो सका। प्रतिबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता एवं लगातार होते विलंब के बावजूद सी ई ने दिसंबर 2013 तक बार-बार समय का विस्तार प्रदान किया। ठेके को आखिरकार मार्च 2014 में, चूककर्ता ठेकेदार के खतरे एवं मूल्य पर 77 प्रतिशत विकसित कार्य पर फिर से रद्द कर दिया गया। ₹20.41 करोड़ के कुल भुगतान जिसमें ₹3.20 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई भुगतान सम्मिलित थी, चूककर्ता ठेकेदार को की गई। वृद्धि के कारण की हुई भुगतान की राशि में ₹2.78 करोड़ का संघटक सम्मिलित था जो कि कार्य समाप्ति की मूल अवधि के बाद भुगतान किया गया जो कि परिहार्य था। बचे हुए (23 प्रतिशत) कार्य को फरवरी 2016 तक पूर्ण करने के लिए मेसर्स निधि कन्स्ट्रक्शंस देहरादून के साथ चूककर्ता ठेकेदार की मूल्य एवं खतरे पर संविदा की गई।

कार्य के निष्पादन में हुए पाँच वर्षों के विलम्ब ने न केवल प्रशिक्षणरत जी सी को आधुनिक सुविधाओं के साथ आई एम ए में उचित प्रशिक्षण लेने से वंचित रखा बल्कि इसके परिणामस्वरूप अपूर्ण टी ए बी भवन की अवनति भी हुई। हमने यह भी देखा कि 2012-13 से आई एम ए की कुल ₹2.50 करोड़ की लागत वाली विविध स्वीकृत/संविदाकृत परियोजनाओं जैसे कि टी ए बी का स्वचलन (₹ 75 लाख), रेत के डिजिटल नमूनों वाला कमरा (₹58.50 लाख) निगरानी लैब (₹ 70 लाख) तथा भाषा-सीखने की लैब (₹47 लाख) टी ए बी के अपूर्ण होने के कारण रुकी हुई थी, जिसने जी सी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित एवं विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने को भी निष्फल किया। मुख्य भवन के अभाव में टी ए बी भवन के लिए ₹1.67 करोड़ की लागत में, अप्रैल 2010 में निर्मित चार संबंधित असैनिक कार्य<sup>55</sup> भी अपनी नियत उद्देश्य के लिए पूरी तरह उपयोग में नहीं लाए जा सके।

अतः कार्यों के अपर्याप्त निरीक्षण एवं ठेकेदार द्वारा उद्यमी कार्य प्रगति प्रयास नहीं किए जाने के बाद भी प्रदान किए गए असामान्य समय की बढ़ोतरी के कारण टी ए बी भवन के निर्माण कार्य में ठेकेदार को ₹20.41 करोड़ (89.71 प्रतिशत) के भुगतान के बाद भी पाँच वर्षों का विलम्ब हुआ। दूसरी संबंधित संविदित परियोजनाएं जो कि ₹2.50 करोड़ की राशि पर जी सी के प्रभावकारी प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत की गई थी, उन्हें भी टी ए बी भवन के अभाव में रोक कर रखा गया जिससे कैडेटों को प्रदान की जा रही प्रशिक्षण काफी प्रभावित हुई।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया था; जिसका उत्तर (सितंबर 2015 तक) प्रतीक्षित था।

### 4.3 परिसम्पत्ति का अनुपयोग

₹2.29 करोड़ की लागत पर अगस्त 2008 में निर्मित मिसाइल भण्डारण शेड उपयोग में नहीं लाया गया क्योंकि शेड में वातानुकूलन प्रणाली मुहैया नहीं कराई गई।

आवासीय मापदंडों के अनुसार, मिसाइलों के भण्डारण के लिए वातानुकूलित आवास प्राधिकृत है। साथ ही, रक्षा कार्य प्रक्रिया यह अनुबन्धित करती है कि क्योंकि समय अति महत्वपूर्ण होता है अतैव प्रशासनिक स्वीकृति में अनुबंध की हुई समापन अवधि को जहाँ तक संभव हो आगे बढ़ाया जाए।

<sup>55</sup> (1) साइकिल स्टैंड का निर्माण

(2) कार शेड का निर्माण

(3) जेनरेटर कक्ष का निर्माण

(4) गार्ड कक्ष का निर्माण

हमने (जुलाई 2014) मुख्य अभियंता 31 क्षेत्र में यह देखा कि 2008 में बनाए गए ₹2.29 करोड़ की लागत वाले मिसाइल शेड सात वर्षों तक, वातानुकूलन नहीं बनाए जाने के कारण अनुपयोगी पड़े हुए थे। मामले की चर्चा नीचे की गई है:-

अप्रैल 2000 में अधिकारियों की समिति ने इनफैंट्री डिविजन सैंक्टर में संश्रित सुविधाओं के साथ तीन वातानुकूलित मिसाइल शेडों के निर्माण कार्य को अनुशंसित किया। रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने नवम्बर 2001 में उपरोक्त आवास के निर्माण की आवश्यकता को स्वीकार किया एवं ₹2.91 करोड़ की अनुमानित लागत पर 35 गोलाबारूद प्वाइंट (ए पी) के लिए फेज़- 1 के अंतर्गत खलसर में एक वातानुकूलित मिसाइल शेड के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इस कार्य की समाप्ति वर्ष 2004 तक तीन कार्यकारिणी अवधियों में होनी थी।

मुख्य अभियंता श्रीनगर क्षेत्र (सी ई एस जैड) ने शेड निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए जिसमें वातानुकूलन सम्मिलित नहीं था, ₹1.93 करोड़ की लागत पर जून 2003 में ठेका स्वीकृत किया एवं भण्डारण शेड बनाने का कार्य ₹2.29 करोड़ की लागत पर अगस्त 2008 में सम्पूर्ण किया। परन्तु, वातानुकूलन कार्य का ठेका स्वीकृति के अनुसार नहीं किया गया, हालांकि मिसाइल शेडों में गर्म एवं ठण्डा करने वाली प्रणाली को भी मुहैया कराया जाना था। सी ई एस जैड ने अगस्त 2011 में संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक मामला आरंभ किया, जिसके अनुसार स्टेशन के अनुरूप वातानुकूलन को समाविष्ट किया गया। तदनुसार, मंत्रालय ने ₹3.61 करोड़ के मूल्य पर अक्टूबर 2012 में संशोधित स्वीकृति प्रदान की। वातानुकूलन/ताप कार्य के लिए सी ई एस जैड ने ₹1.25 करोड़ के मूल्य पर (दिसम्बर 2013) में ठेका किया।

ठेके का विकास कार्य 25 प्रतिशत था (फरवरी 2015) । वातानुकूलन के अभाव में, मिसाइल शेडों को फरवरी 2015 तक मिसाइल भण्डारण के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सका।

मिसाइल शेडों में वातानुकूलन न होने के परिणामस्वरूप उसके अनुपयोग से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए प्रश्नों (जुलाई 2014) के उत्तर में सी ई एस जैड ने कहा (जुलाई 2014) कि वातानुकूलन/हवा के ताप प्रणाली को स्थगित इसलिए किया गया क्योंकि कार्य का प्रारंभिक प्रावधान थंब रूल गणना पर आधारित था, जिसमें आंतरिक वातावरण के विस्तार पूर्वक चित्रण किए जाने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति में संशोधन के द्वारा सुधार करना आवश्यक था। उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि अभियन्ता तकनीकी रूप से स्टेशन के वातावरण के अनुसार वातानुकूलन प्रणाली के प्रकार का चयन करने में सक्षम थे एवं उनके पास निर्माण कार्य का ठेका करने से पहले संशोधित स्वीकृति लेने का पर्याप्त समय था। स्पष्टतया, परियोजना के निष्पादन को योजनाबद्ध करने में कमी थी।

सभी सुविधाओं से संपन्न (तापन एवं वातानुकूलन) मिसाइल शेड के अपूर्ण निर्माण के कारण परिचालन योग्यता के प्रभाव से संबंधित मामले को उपयोगकर्ता (35 ए पी) के साथ लेखापरीक्षा मई 2015 में उठाया गया। इसका उत्तर दिया गया (मई 2015) कि मिसाइल की आहरण योजना प्रभावित हुई, क्योंकि मिसाइलों को अन्य स्थान (31 ए पी) पर 110 कि. मी. की दूरी पर रखा गया था, जो कि सबसे ऊंची मोटरयोग्य मार्ग को लांघकर जाती थी एवं इससे पारगमन में काफी समय लगता था।

इस प्रकार मिसाइल शेड के निर्माण का ठेका करने के दौरान वातानुकूलन की सही योजना नहीं बनाने के कारण, ₹2.29 करोड़ की लागत पर बनाई हुई परिसंपत्ति बिना उपयोग के अगस्त 2008 से पड़ी रही। इससे परिचालन तत्परता काफी प्रभावित हुई क्योंकि 35 ए पी के वास्ते स्वामी-इकाई से मिसाइलों को स्थानान्तरित करने में बहुत अधिक समय की बर्बादी होती है।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2015 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था। (सितंबर 2015)।

#### 4.4 स्थान उपलब्ध न होने के बावजूद ठेकों को करने के कारण सरकारी धन अवरूद्ध रहा

मुख्य अभियंता, जबलपुर क्षेत्र, जबलपुर ने खाली स्थान उपलब्ध न होने के बावजूद ठेका किया जो कि न केवल कोडल प्रावधान का उल्लंघन था बल्कि इसके परिणामस्वरूप कार्य के निष्पादन के बिना ही ₹1.68 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

सैन्य अभियंता सेवाएँ, ठेकों की नियमावली- 2007 यह निर्धारित करती है कि निविदा को स्वीकृति प्रदान करने से पहले दुर्ग अभियंता (जी ई) से एक प्रमाण-पत्र लिया जाएगा जिसके तहत यह सिद्ध हो कि बाधाओं से मुक्त एक खाली स्थान, सभी कार्यों हेतु उपलब्ध है। थल सेना नियमावली एवं कैंटोनमेन्ट भूमि प्रशासन नियम 1937 यह अनुबन्धित करता है कि वह स्थान जो सेना प्राधिकारियों द्वारा राइफल रेंज के प्रयोजन हेतु असल में उपयोग में लाये जाते हैं अथवा उनके द्वारा अधिकृत हैं वह क्लास 'ए'- 1 स्थान हैं।

हमने जी ई रामगढ़ की लेखापरीक्षा के दौरान देखा कि दिसम्बर 2013 में मुख्य जबलपुर क्षेत्र (सी ई जे जैड), जबलपुर द्वारा रामगढ़ कैंट में खाली स्थल की उपलब्धता न होने के बावजूद बैफल रेंज के निर्माण के लिए ₹12.27 करोड़ की राशि पर दो ठेकों को किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.68 करोड़ का सरकारी धन अवरूद्ध रहा। मामले की चर्चा निम्नवत की गई हैं:-

अक्टूबर 2001 में हुई, अधिकारियों की समिति (बी ओ ओ) की अनुशंसा पर, रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2004, में ₹2.44 करोड़ की लागत वाले, विद्यमान क्लास 'ए'- 1 के रक्षा स्थल पर बैफल रेंज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की, जिसे (फरवरी 2006) संशोधित करके ₹4.26 करोड़ कर दिया गया। बैफल रेंज का अभिविन्यास चरम बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला (टी बी आर एल) की तकनीकी आवश्यकताओं पर पूरा उतरने के बावजूद जमीनी विवाद के कारण इसे स्टेशन कमांडर द्वारा बदल दिया गया। स्टेशन कमांडर रामगढ़ कैन्ट के सुझाव पर बैफल रेंज के निर्माण के लिए दूसरे स्थान को टी बी आर एल द्वारा (अप्रैल 2007) में स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि वह B- 4<sup>56</sup> स्थल पर स्थित थी। बैफल रेंज के निर्माण के लिए ₹9.65 करोड़ की लागत हेतु रक्षा मंत्रालय की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति को मई 2010 में प्राप्त किया गया। आगे, मंत्रालय ने नवम्बर 2012 में ₹12.36 करोड़ की लागत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पर शुद्धिपत्र जारी किया।

एक बैफल रेंज के निर्माण के लिए क्लास 'ए'- 1 का रक्षा-स्थल होना पूर्वापेक्षित है। स्टेशन मुख्यालय द्वारा सितम्बर 2010 में बी-4 स्थलों को 'ए'- 1 में परिवर्तित कराने का उपक्रम किया गया किन्तु मई 2015 तक सरकार की स्वीकृति नहीं प्रदान हुई। परन्तु इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि 'ए'- 1 रक्षा स्थल उपलब्ध नहीं है एवं बी-4 स्थल को 'ए'- 1 स्थल में परिवर्तित करने का मामला अभी प्रक्रिया में है; सी ई जे जैड जबलपुर ने फरवरी 2012 में ₹1.29 करोड़ की लागत पर कम्पाउंड दीवार व गेट बनाने के लिए ठेका दिया। कार्य का आरंभ मार्च 2012 में किया गया जिसे मार्च 2013 तक पूर्ण हो जाना था। इसी प्रकार, सी ई जे जैड द्वारा बैफल रेंज के निर्माण के लिए ₹10.98 करोड़ की लागत पर नवम्बर 2012 में दूसरा ठेका किया गया। कार्यादेश के अनुसार (जनवरी 2013) कार्य का आरंभ जनवरी 2013 में हुआ जिसे जुलाई 2014 तक पूर्ण हो जाना था। तदनुसार ठेकेदारों ने शुरुआती कार्य आरंभ किया एवं स्टील की प्राप्ति की जिसके एवज में उन्हें ₹1.68 करोड़ का भुगतान किया गया। जनवरी 2013 में स्टेशन कमांडर ने जी ई को कार्य रोकने का निर्देश दिया क्योंकि मामला रक्षा मंत्रालय में बी- 4 स्थल को 'ए'- 1 स्थल में परिवर्तित करने हेतु लंबित था। जनवरी 2013 तक कार्य रूका हुआ। ठेकों के पूर्व समापन का मामला जून 2014 में प्रक्रम में लाया गया एवं इसका निर्णय दिसम्बर 2014 तक लंबित था। स्टील प्राप्त करने के प्रयोजन से ठेकेदारों को किये गये भुगतान पर ₹1.68 करोड़ का व्यय हुआ। जी ई ने लेखापरीक्षा को अवगत कराया कि स्टील की उपयोगिता के बारे में निर्णय (₹1.68 करोड़) जो कि दिसम्बर 2014 तक स्थल पर पड़ी हुई थी कार्य के पूर्व रद्दीकरण के बाद लिया जाएगा।

इस प्रकार यह मामला प्रदर्शित करता है कि स्टेशन कमांडर ने मई 2010 में बैफल रेंज के लिए, संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जो कि वैकल्पिक स्थान 'बी' 4

<sup>56</sup> B-4 स्थल: खाली स्थल जो कि किसी अन्य क्षेत्र जैसे गिरिजाघर, शमशान-घाट, कब्रिस्तान में सम्मिलित।

स्थल हेतु थी, परन्तु उसके 'ए'- 1 स्थल में परिवर्तन की स्वीकृति मंत्रालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुई (मई 2015) थी। सी ई जे जैड ने बिना स्थलों के बाधामुक्त होने की जाँच कराएँ ठेका कर दिया, जो कि न केवल कोडल प्रवधानों का उल्लंघन है बल्कि इसके परिणामस्वरूप ₹1.68 करोड़ का सरकारी धन अवरुद्ध हुआ।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2015)।

#### 4.5 निम्न कोटि पाइपों की अधिप्राप्ति के कारण निष्फल व्यय

खराब/दोषपूर्ण पाइपों की प्राप्ति के कारण निकृष्ट कार्य का निष्पादन हुआ। फलतः ₹2.33 करोड़ की लागत पर बनाए गए अग्नि शमन आधारभूत संरचना पर किए गए समूचे व्यय को निष्फल करार देते हुए परित्याग करना पड़ा।

रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने भरतपुर में गोला-बारूद के भंडारण के लिए मार्च 2003 में 20 विस्फोटक भण्डार गृहों (ई एस एच) का निर्माण ₹32.85 करोड़ जिसे संशोधित करके ₹35.32 करोड़ (मार्च 2007) कर दिया गया था, की लागत पर करने की स्वीकृति प्रदान की। इस स्वीकृति में अन्य बातों के अलावा ₹2.30 करोड़ की लागत पर अग्नि शमन कार्यों हेतु अग्नि नलकों के लिए 'ढलवाँ लोहा (सी आई) क्लास 'बी' पाइपों की आपूर्ति एवं उनको लगाना भी सम्मिलित था। मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र (सी ई जे जैड) ने नवम्बर 2004 में ₹42.92 लाख की लागत पर 'तन्य लौह (डी आई) क्लास पाइप को बिछाने हेतु संविदा की। संविदा की सूची 'बी' के अंतर्गत विभाग द्वारा डी आई पाइपों को जारी किया जाना था। कार्य दिसम्बर 2004 में शुरू किया गया जिसे दिसम्बर 2005 में पूर्ण होना था, किंतु अगस्त 2015 तक भी यह पूर्ण नहीं हुआ। इसी दौरान ई एस एच का निर्माण कार्य दिसम्बर 2005 में पूर्ण हुआ।

क्योंकि डी आई पाइप ठेका दरों (आर सी) में नहीं थे, अतः सी ई जे जैड द्वारा पाइपों के विनिर्देश को बदल कर ठेके में सी आई कर दिया गया। तदनुसार सी ई जे जैड ने ₹2.13 करोड़ की लागत पर सी आई पाइपों की आपूर्ति के लिए डी जी एस एंड डी द्वारा स्वीकृत तीन फर्मों मैसर्स केजरीवाल कॉस्टिंग्स, मैसर्स धर्म इंजीनियरिंग कम्पनी बटाला व मैसर्स आर्को पाइपग्राम्स, जालधर को सप्लाई ऑर्डर दिए। इन फर्मों द्वारा पाइपों की आपूर्ति जून 2005 से जून 2007 के बीच की गई।

तथापि दुर्ग अभियंता, भरतपुर, द्वारा मैसर्स धर्म इंजीनियरिंग कम्पनी बटाला एवं मैसर्स केजरीवाल कास्टिंग से प्राप्त हुए पाइपों को उनके निम्न गुणवत्ता की होने की आशंका पर स्वतंत्र परीक्षण के लिए भेजा गया। यह नमूने द्रवीय परीक्षण में असफल हुए। अतः समूचे सामान को अधिकारियों की समिति द्वारा जून 2005 एवं जुलाई



2005 में अस्वीकार कर दिया गया। किन्तु, सी डब्ल्यू ई, जयपुर के निर्देश पर इन नमूनों को पुनः नैशनल टैस्ट हाउस गाजियाबाद भेजा गया, परन्तु अधिकारियों के टैक्निकल बोर्ड के अनुसार वहां पर द्वितीय परीक्षण के आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इन नमूनों को सितम्बर 2005 में सफल घोषित किया गया। तदनुसार, सभी आपूर्तियों को फर्मों के ठिकानों पर स्वीकार किया गया।

पाइपों को ठेकेदार को जारी कर दिया गया, परंतु अप्रैल 2009 में, ठेकेदार ने सूचित किया कि विभाग द्वारा जारी की गई पाइपें निम्न गुणवत्ता वाली थीं एवं 100 मी मी की व्यास वाली पाइपों की ज्यादातर मात्रा खराब थी एवं उनमें छिद्र थे तथा उनमें दरारें भी पड़ी हुई थीं। सी इ जे जैड ने सी डब्ल्यू ई जयपुर को व्यक्तिगत रूप से मामले की जाँच करने के निर्देश दिए एवं सहायक गैरिसन अभियंता (स्वतंत्र) भरतपुर (ए जी ई (आई)) को संयुक्त निरीक्षण के द्वारा जारी किए गए पाइपों को पुनः जाँचने के निर्देश दिए। 14 दिसम्बर 2011 को ए जी ई (आई) भरतपुर एवं मुख्यालय सी डब्ल्यू ई जयपुर में एक अधिकारियों की समिति बुलाई गई ताकि फ्लेंजों पर इन पाइपों के फटने एवं फूटने के कारणों की जाँच हो सके। इस समिति ने इन पाइपों की संभावित असफलता को 'गलत पाइपों का चयन', उत्पादकता में कमी एवं गलत योजना के कारण से बताया। फरवरी 2012 में, लेखापरीक्षा ने कार्य में निकृष्ट पाइपों के उपयोग की बात को रेखांकित किया। इसके बाद ही क्षेत्रीय सी ई इस मामले को कमांड सी ई तक ले गए ताकि मामले की जाँच, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के माध्यम से करवाई जा सके।

मुख्यालय सी ई दक्षिण पश्चिमी कमान ने तकनीकी अधिकारियों की समिति (टी बी ओ) का आयोजन, कारणों को जानने एवं उनको सुधारने के लिए, सुझाव देने के लिए किया। टी बी ओ ने यह पाया कि पाइपों में लगा हुआ सामान एवं उनकी कार्यकुशलता बेहद खराब थी एवं सारी समस्याओं का मूल कारण यही था। टी बी ओ ने अंत में यही निर्णय किया (जुलाई 2014) कि अग्नि शमन की विद्यमान योजनाओं को न बदला जा सकता है और न क्रियान्वित किया जा सकता है। इसीलिए एक नई योजना को तैयार करने की आवश्यकता थी। परन्तु कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कार्य अभी प्रगति पर था (अप्रैल 2015) ताकि दोषपूर्ण योजना बनाने एवं निकृष्ट पाइपों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

अतः खराब योजना एवं निकृष्ट पाइपों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹2.33 करोड़ का व्यय जो अभी तक किया जा चुका था, निष्फल साबित हुआ। अग्नि शमन के लिए कोई दूसरा विकल्प अभी नहीं है एवं अग्नि शमन कार्यों के लिए नई योजना बनाने की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी अभी तक लागू नहीं की गई है।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2015 में भेजा गया था; उनका उत्तर तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।